212-प्रार्थना-पत्र 22/2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट दांतरू पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया। अप्रार्थीगण को मूल वाद के फैसले तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम दांतरू की भूमि ख० नं० 113 रकबा 7.22 हे०, ख० नं० 473 रकबा 0.93 हे० के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही मूल वाद के सलंग्न हो। (रेनू मीणा) अध्यक्ष लोक अदालत फतेहपुर शेखावटी उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर- सीकर (राज०)	